(161)

संख्या– /XII/2011/86 (10)/2005,

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

विषय– त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत के संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीरकण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियों एवं दायित्व सौंपें जा रहें, फलस्वरूप ग्राम पंचायतों के प्राधानों एवं क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत एवं जिला पचांयत के सदस्यों को कमशः अपने–अपने क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना होता है। उक्त पदाधिकारियों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सुविधाओं के रूप में शासनादेश संख्या–472/06/XII/86(10)/05, दिनांक 01 जुलाई,2006, तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1674/XXVII (I)/2006, दिनांक 01 जुलाई,2006 के द्वारा स्वीकृत मानदेय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को दिये जा रहे मानदेय में आंशिक वृद्धि करते हुए निम्नालिखित तालिका के अनुसार स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

पदनाम	मानदेय (रूपये में) प्रतिमाह/प्रति बैठक
प्रधान	750
उप प्रधान	350
प्रमुख क्षेत्र पंचायत	4000
कनिष्ठ उप प्रमुख	625
ज्येष्ठ उप प्रमुख	625
अध्यक्ष, जिला पचांयत	5000
उपाध्यक्ष, जिला पचांयत	2000
सदस्य, क्षेत्र पंचायत	300 प्रति बैठक
सदस्य, जिला पंचायत	400 प्रति बैठक

2– उक्त त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय की व्यवस्था पर होने वाले व्यय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पंचायतों को संकमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेगी, तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-190 (NP)/XXXVII-4/2011/दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एन0एस0नेगी)
सचिव।

संख्या-/XII/2011/86 (10)/2005,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5- आयुक्त, कुमायू/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।
6- प्रभारी सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपने पत्र संख्या-4/2/XV/XXI / 2011-सीएक्स, दिनांक 13-12-2011 के कम मे सूचनार्थ।
7- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
8- अध्यक्ष/प्रमुख/सचिव, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड।
9- निदेशक, पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड।
10- संयुक्त निदेशक, जिला पचांयत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड।
11- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी उत्तराखण्ड।
13- वित्त अनुभाग-7 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
14- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड।
15- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून। NIC
16- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय उत्तराखण्ड रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि 100 पृष्ठों में गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एस0नपलच्याल)
अपर सचिव।